(117

संख्याः 39 /54/ यू0एस0आर0एल0एम0 / ग्रा0वि0वि0 / 2014

प्रेषक,

सचिव,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली / बागेश्वर

यू0एस0आर0एल0एम0: देहरादूनः दिनांकः 23 अप्रैल, 2014

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आई0ए0पी0 जनपदों में ब्याज उपादान (Interest Subvention) योजना के कियान्वयन विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुल 150 जनपदों को आई0ए0पी0 जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य के दो जनपद कमशः चमोली तथा बागेश्वर का चयन किया गया है। इन जनपदों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत category-I के अन्तर्गत नामित किया गया है जबकि शेष जनपदों को category-II जनपद कहा गया है। इस कम में अवगत कराना है कि राज्य में category-I के जनपद कमशः चमोली तथा बागेश्वर में महिला स्वंय सहायता समूहों को ब्याज उपादान (Interest Subvention) योजना से जोड़े जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशा के अनुकम में निम्न प्रकार मानक निर्धारित किये जाते हैंः-

1. इस योजना के तहत केवल महिला स्वंय सहायता समूहों को लाभान्वित किया जायेगा, चाहे स्वंय सहायता समूह किसी भी संस्था / संस्थान / योजनाओं के अन्तर्गत गठित किये गये हों।
2. शहरी क्षेत्र के महिला स्वंय सहायता समूह इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।
3. जनपद चमोली तथा बागेश्वर के प्रत्येक महिला स्वंय सहायता समूह रू0 3.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज उपादान योजना के तहत ऋण लेने हेतु पात्र होंगे। जो समूह निश्चित अवधि में ऋण वापसी करेंगे उन्हें 3 % का अतिरिक्त ब्याज उपादान का लाभ दिया जायेगा, जिससे प्रभावित ब्याज दर न्यून होते हुये 4% रहेगी।
4. निश्चित अवधि में ऋण वापसी की गणना निम्नानुसार की जायेगी
   4.1 सी0सी0एल0 के लिये –
   - बकाया अवशेष लगातार 30 दिन से अधिक ऋण साख सीमा (cash credit limit) से उच्चतर नहीं होना चाहिए।

- खाते में नियमित रूप से लेन देन किया जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में कम से कम 1 ग्राहक प्रेरित क्रेडिट (customer induced credit) होना चाहिए।
- माह के दौरान ग्राहक प्रेरित क्रेडिट *(customer induced credit) पर्याप्त होना चाहिए ताकि माह में लगने वाले ब्याज को आच्छादित किया जा सके।

** ग्राहक प्रेरित क्रेडिट– सी0सी0एल0 के तहत तत्काल ऋण वापसी तभी मानी जायेगी जब स्वंय सहायता समूह द्वारा प्रत्येक माह कम से कम बैंक द्वारा निर्धारित 7% ब्याज चुकाया जाय।*

4.2 टर्म लोन के लिये –

- ब्याज तथा मूल धन निर्धारित तिथि के 30 दिवस के भीतर जमा किया जाय।

5. एस0जी0एस0वाई0 के तहत जिन महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा capital subsidy ली गयी हो तथा, यदि उनका लोन बकाया हो तो वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे यद्यपि किसी महिला स्वंय सहायता समूह द्वारा subsidy linked Loan को वापस कर fresh loan लिया गया हो तो वे समूह इस योजना से आच्छादित किये जायेगें।
6. जिन महिला स्वंय सहायता समूहों द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत केवल परिक्रामी निधि (revolving fund) लिया गया हो व subsidy नहीं ली गयी हो, वे भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे।
7. क्रेडिट से जुड़ी सभी महिला स्वंय सहायता समूह योजना के तहत लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
8. किसी भी उद्देश्य हेतु गठित महिला स्वंय सहायता समूह ब्याज उपादान योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
9. महिला स्वंय सहायता समूह किसी भी निजी बैंक से इस योजना के अन्तर्गत ऋण ले सकते हैं बशर्ते निजी बैंक द्वारा उक्त ऋण 7% ब्याज पर दिया जाये।
10. यह योजना 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी है। महिला स्वंय सहायता समूह के सभी बकाया ऋण 01 अप्रैल, 2013 को अथवा उसके बाद की अवधि में लिये गये ऋण 7% की ब्याज दर पर परिवर्तित कर दिये जायेंगे।
11. सभी बैंकों द्वारा 7% ब्याज की दर पर ऋण स्वीकृत किया जायेगा ।
12. यदि स्वंय सहायता समूह द्वारा रू0 3 लाख से अधिक का ऋण लिया जाता है तो ब्याज उपादान केवल रू0 3 लाख तक के ही ऋण पर लागू होगा। रू0 3 लाख से ऊपर की धनराशि के ऋण लिये जाने पर सम्बन्धित बैंक द्वारा मौजूदा ब्याज पर ऋण दिया जायेगा साथ ही 3: का अतिरिक्त ब्याज उपादान की व्यवस्था भी तत्काल ऋण वापसी आधार पर रू0 3 लाख तक की धनराशि पर ही देय होगा।

ब्याज उपादान (interest subvention) सम्बन्धी विस्तृत सूचनायें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वेबसाइट **www.aajeevika.gov.in** के Interest subvention लिंक को click कर प्राप्त की जा

(10

सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा समस्त सम्बन्धित बैंकों को इस सम्बन्ध में पूर्व में ही निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। नाबार्ड द्वारा आई0ए0पी0 जनपदों में सहायतित महिला स्वंय सहायता समूह के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। नाबार्ड द्वारा स्वंय सहायता समूह के गठन हेतु सहायतित स्वंय सेवी संस्थाओं के सेवाकर दिये जाने, इस हेतु धनराशि की व्यवस्था, दावे प्राप्त करने तथा उनको धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी आदेश भी भारत सरकार द्वारा पृथक से निर्गत किये जा चुके हैं,, जिसकी छायाप्रति भी आपके सुलभ संन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मानकों के आधार पर जनपद चमोली तथा बागेश्वर के समस्त महिला स्वंय सहायता समूहों को ब्याज उपादान योजना से अधिकाधिक लाभान्वित करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, जिला स्तरीय बैंक अधिकारियों, रेखीय विभागों आदि को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(विनोद फोनिया)
सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सी0जी0एम0, नाबार्ड, देहरादून।
2. मुख्य विकास अधिकारी, चमोली तथा बागेश्वर।
3. लीड बैंक अधिकारी, जनपद चमोली तथा बागेश्वर।

(विनोद फोनिया)
सचिव